

**बिहार सरकार**  
**राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग**  
**(भू-अर्जन निदेशालय)**

**अधिसूचना**

पटना, दिनांक—..... 2019

भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 (RFCTLARR Act-2013) के अध्याय-VIII की धारा-51 के अंतर्गत समुचित सरकार (Appropriate Government) द्वारा अधिसूचना जारी कर भू-अर्जन सबधी मुआवजा भुगतान, पुनर्वास एव पुनर्स्थापन से संबंधित विवादों के त्वरित निपटारे तथा अधिनियम की धारा-64(1) के अंतर्गत निर्देश मामलों (Reference cases) की सुनवाई हेतु एक या अधिक भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकार (Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Authority) की स्थापना का प्रावधान है।

2 बिहार भूमि-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियमावली-2013 के नियम-35 के तहत राज्य के प्रत्येक राजस्व प्रभाग के मुख्यालयों यथा-पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सारण, मुंगेर, सहरसा, पूर्णिया, गया एव भागलपुर में भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकार की स्थापना, उसे प्रदत्त अधिकारिता, शक्ति एव प्राधिकार का प्रयोग करने के लिए की गई है। पीठासीन पदाधिकारी (Presiding Officer) प्राधिकार के अध्यक्ष होंगे।

3 प्राधिकार के पीठासीन पदाधिकारी की नियुक्ति हेतु राजस्व विभागीय आदेश सं०-1471/रा० दिनांक-29.12.2015 द्वारा गठित चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर तैयार की गयी सेवानिवृत्त जिला एव सत्र न्यायाधीश की मेधा सूची पर माननीय मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त सहमति के आलोक में राज्य के सभी प्रमंडलीय मुख्यालय के जिलों में स्थापित भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकार के पीठासीन पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति एव पदस्थापन निम्नवत् किया जाता है—

क्र०	पीठासीन पदाधिकारी का नाम	पद/कार्यालय, जहाँ से सेवानिवृत्त हुए हैं।	पदस्थापन
1	2	3	4
1	श्री रविन्द्र सिंह, सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय	जिला एव सत्र न्यायाधीश	सारण
2	श्री दिवान अबदूल अजिज खान, सेवानिवृत्त जिला एव सत्र न्यायाधीश, गाम-मानपुर, मो० कोर्ट, पो० बेउर, थाना-चैनपुर, जिला-कैमूर-821103	जिला एव सत्र न्यायाधीश, बेगूसराय	मुंगेर
3	श्री राजेन्द्र प्रसाद मिश्र, सेवानिवृत्त जिला एव सत्र न्यायाधीश, मो०-लेन न०-01, गौतमनगर, पो०-सुसवाही, थाना-लका, वाराणसी-221011, ऊ०प्र० सेवानिवृत्त जिला एव सत्र न्यायाधीश	जिला एव सत्र न्यायाधीश, सासाराम	गया
4	श्री राधवेन्द्र कुमार सिंह, सेवानिवृत्त जिला एव सत्र न्यायाधीश, प्लैट न०-304, एस०एस० बिहार अपार्टमेंट, नेयर रेलवे सुपर स्पेसियलिटी अस्पताल, करबिगाहिया, थाना-जक्कनपुर, पटना-800001	जिला एव सत्र न्यायाधीश, शिवहर	मुजफ्फरपुर

5	श्री ज्योतीन्द्र कुमार सिंह, सेवानिवृत्त जिला एव सत्र न्यायाधीश, द्वारा श्री अमलेन्दु कुमार सिन्हा, रिटायर्ड जिला जज तारकेश्वर नाथ रोड, चिरैयाटाड, पो0 जि0पी0ओ0, थाना-ककडबाग, पटना-800001	जिला एव सत्र न्यायाधीश, खगडिया	दरभंगा
6	श्री शाहीद खान, सेवानिवृत्त जिला एव सत्र न्यायाधीश, मो0-एम0एम0 नगर कोलनी (शुक्ला जी के बगीचा के निकट) पोस्ट-सीवान, थाना-नगर सीवान, 841226	जिला एव सत्र न्यायाधीश, सममस्तीपुर	सहरसा
7	श्री विनोद कुमार, सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, मो0-चतुरभुज, पो0-पिपराही, थाना-लोकहा, जिला-मधुबनी 847421	प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय सहरसा	भागलपुर
8	श्री ओम प्रकाश राय, सेवानिवृत्त जिला एव सत्र न्यायाधीश, द्वारा श्री जयकिशोर शर्मा नजारत व्यवहार न्यायालय, सीवान, पो0+जिला-सीवान-841226	जिला एव सत्र न्यायाधीश, सीवान	पूर्णिया
9	श्री रवीन्द्र पटवारी, सेवानिवृत्त जिला एव सत्र न्यायाधीश, मो0-सुगध बिहार कॉलनी, भागवत नगर, मेन रोड, पो0-कुमहरार, थाना-अगमकुआ, पटना-80026	जिला एव सत्र न्यायाधीश, गया	पटना

4 उपर्युक्त सेवानिवृत्त जिला एव सत्र न्यायाधीशों को प्राधिकार, के पीठासीन पदाधिकारी के पद पर उनके द्वारा पदग्रहण की तिथि से तीन वर्ष अथवा 65 वर्ष आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले घटित हो, नियुक्त किया जाता है।

5. विभागीय अधिसूचना स0-484/रा0 दिनांक 07 04 2016 द्वारा स्थापित प्रत्येक प्राधिकार की अधिकारिता एव कार्यक्षेत्र सबधित प्रमडल के अधीनस्थ सभी जिलों में होगी। बिहार भूमि-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियमावली-2014 के नियम 36 के अंतर्गत प्राधिकार को झूठे दावों इत्यादि के माध्यम से लिये गये पुनर्वास एव पुनर्व्यवस्थापन लाभों की वसूली की शक्ति होगी।

6. प्राधिकार के पीठासीन पदाधिकारी के वेतन एव भत्ते उनकी सेवानिवृत्ति के समय उनके द्वारा अंतिम आहरित पारिश्रमिक, घटाव पेशन के समतुल्य होगा। इसके अतिरिक्त, वे अपना पेशन एव स्वयं पर लागू सबधित नियमों के अधीन प्रोद्भूत अन्य लाभ आहरित करेंगे।

7. पीठासीन पदाधिकारी की अन्य सेवा शर्तें वही होगी जो बिहार राज्य में कार्यरत जिला न्यायाधीश पर लागू होंगे। इस सबध में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा समय-समय पर निर्गत एतद् सबधी पत्र/परिपत्र के प्रावधान प्रभावी होंगे।

8. पीठासीन पदाधिकारी के वेतनादि से सबधित व्यय भार मुख्य शीर्ष 2029 भू-राजस्व 001 निदेशन और प्रशासन 0004 भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकार माग स0-40 विपत्र कोड सख्या-एन 2029000010004 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

9. पीठासीन पदाधिकारी का वेतनादि भुगतान राजस्व विभागीय ज्ञापाक-1291/रा0 दिनांक 20 11 2015 द्वारा पीठासीन पदाधिकारी के सृजित स्थायी पदों के विरुद्ध किया जायेगा तथा राशि की निकासी सबधित जिला कोषागार से की जायेगी। इसके निकासी एव व्ययन पदाधिकारी प्राधिकार के अधीन कार्यरत निबधक (Registrar) होंगे।

10. नवनियुक्त सभी पीठासीन पदाधिकारियों को निदेशित है कि वे अपने पदस्थापन कार्यालय में अपना योगदान नियुक्ति पत्र प्राप्ति की तिथि के सात दिनों (एक सप्ताह) के भीतर देना सुनिश्चित करेंगे।

11. यह आदेश तुरंत प्रभावी होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र)

निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव,

रा0 एवं भूमि सुधार विभाग।

पटना, दिनांक -

ज्ञापाक-14/डी0एल0ए0-एल0ए0एक्ट-(प्राधिकार)-नियुक्ति-36/2015-

प्रतिलिपि-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को सी0डी0 सहित बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित राजपत्र की 300 (तीन सौ) अतिरिक्त प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह0/-

निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव,

रा0 एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापाक-14/डी0एल0ए0-एल0ए0एक्ट-(प्राधिकार)-नियुक्ति-36/2015-940/27, पटना, दिनांक-12-09-19

प्रतिलिपि-सभी प्रमडलीय आयुक्त/सभी समाहर्ता/सभी अपर समाहर्ता तथा सभी जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव,  
रा0 एवं भूमि सुधार विभाग।